न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.111/अपील/2022 (GCMS No. 2022/274)	19.12.2022	25.03.2025

बउनवान

दुर्गालाल आ. कालू जाति कुम्हार
निवासी गुढानाथावतान, तहसील व जिला बून्दी (राज.)

– अपीलांटस

बनाम

1. बाबूलाल आ. रामलाल जाति कुम्हार (प्रजापति)
   निवासी दरा का नयागांव, तहसील हिण्डोली
2. गणेश आ. रामलाल जाति कुम्हार (प्रजापति)
   निवासी दरा का नयागांव, तहसील हिण्डोली
3. रामकुवार आ. रामलाल जाति कुम्हार (प्रजापति)
   निवासी दरा का नयागांव, तहसील हिण्डोली
4. संतरा बाई पुत्री रामलाल जाति कुम्हार (प्रजापति)
   निवासी दरा का नयागांव, तहसील हिण्डोली
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी
6. उप पंजीयक, बून्दी
7. पटवारी पटवार हल्का, गुढानाथावतान (तहसील बून्दी)

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से श्री महेन्द्र कुमार जैन, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 1 लगायत 4 की ओर से श्री नगेन्द्र सिंह हाडा एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 5, 6, 7 की ओर से पेरोकार सरकार।

जिला कलेक्टर; बून्दी

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार, बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 2929 दिनांक 13.09.2022 ग्राम गुढानाथावतान से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण सहखातेदार कमला पुत्री कालू के देहान्त के बाद उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर क्रमांक 111/2022 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS N0. 2022/274 पर इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1776/2034 रकबा 1.6380 हैक्टेयर वाकेग्राम गुढानाथावतान तहसील बून्दी में स्थित है, उक्त भूमि जमाबंदी संवत 2072–75 की खतौनी सं. 173 में कमला पुत्री कालू व अपीलांट हिस्सा बराबर खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि अपीलांट के पिता कालू आ. चंद्रा को मिसल संख्या 591 दिनांक 11.08.1971 को आवंटित हुयी थी। आवंटन के बाद अपीलांट के पिता को गैर खातेदारी दी गई और आवंटन शर्तो की पालना करने पर खातेदारी प्रदान की गई। उक्त भूमि पर अपीलांट के पिता निरंतर काबिज चले आ रहे थे। अपीलांट के पिता का मूल पैतृक गांव सलावलिया था। बाद में कालू जी अपने ससुराल गुढानाथावतान तहसील बून्दी में आकर रहने लगे थे और वहां रहते हुये उक्त भूमि आवंटित हुयी थी। अपीलांट के पिता ने उक्त भूमि स्वअर्जित होने से इसकी वसीयत अपने पुत्र अपीलांट के नाम सन् 1996 की बसंत पंचमी के दिन कर दी थी। जिसकी जानकारी रेस्पो.सं. 1 लगायत 4 की माता व अपीलांट की बहिन कमला बाई तथा अपीलांट की माता को होने के कारण कभी भी दोनों ने विवादित भूमि पर अपना अधिकार नहीं जताया। कालू जी की मृत्यु के बाद अपीलांट उक्त भूमि पर बतौर स्वामी काश्त करता चला आ रहा है। अपीलांट की बहिन दरा का नयागांव में रहती है। अपीलांट के पिता का स्वर्गवास दिनांक 20.10.97 का होने पर पटवारी हल्का द्वारा कालू जी के विरासत का नामान्तरण सं.916 बिना किसी आवेदन के अपीलांट की माता प्रभूडी व बहिन कमला तथा अपीलांट के नाम दिनांक 09.09.98 को खोल दिया। अपीलांट की माता प्रभूडी का स्वर्गवास हो चुका था। अपीलांट की बहिन कमला की मृत्यु दिनांक 07.04.21 हुई थी। कमला की मृत्यु के बाद दिनांक 28.04.21 को रेस्पो.सं. 1 लगायत 4 द्वारा ग्राम गुढानाथावतान आकर भूमि पर अपनी माता के स्थान पर अपना नाम अंकित कराने की धमकी देने पर अपीलांट द्वारा उक्त नामान्तरकरण की

जिला कलक्टर, बून्दी

अपील श्रीमान के यहां अपील सं. 50/2021 एवं स्टे प्रार्थना पत्र 33/2021 दायर किये गये। उक्त अपील में अप्रार्थीगण एवं राजस्थान सरकार मय पटवारी हल्का पक्षकार है। सभी की तामील दिनांक 20.07.21 को हो चुकी थी तथा पक्षकार उपस्थित आ चुके थे परन्तु निर्णय नहीं हुआ था। रेस्पो.सं.1 लगायत 6 के समक्ष अपील विचाराधीन होने व अपील में पक्षकारों के उपस्थित होने के बावजूद तथ्यों को छूपाकर मामला सबजुडिस होते हुये भी दिनांक 13.09.22 को कमला का फोती इंतकाल सं. 2929 रेस्पो.सं. 1 लगायत 4 के नाम दर्ज करा लिया, जो निरस्त होने योग्य है। दिनांक 15.11.22 को रेस्पो.सं. 1 लगायत 4 ने भूमि पर कब्जा करने व बेचान करने की धमकी दी, उनके द्वारा इंतकाल सं. 2929 खोलने की जानकारी दी गयी, तब अपीलांट ने इंतकाल की नकल ली। तब सम्पूर्ण जानकारी हुयी। आदेश दिनांक 13.09.22 से जानकारी दिनांक 15.11.22 तक व नकल का समय मुजरा दिया जाकर अपील अवधि मध्य माना जाना आवश्यक है। देरी क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पृथक से प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपील विषयक नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं.1 लगायत 4 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन नामान्तरकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहखातेदार कमला की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांट को प्रारम्भ से ही रही है। इस कारण अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक रेस्पो. सं.1 लगायत 4 ने आगे गुणावगुण पर बहस करते हुये कथन किया कि रेस्पो.सं.1 लगायत 4 की माता का नाम कमला है जो कालू जी की पुत्री एवं अपीलांट की बहन है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में रेस्पो.सं.1 लगायत 4 को सहखातेदार कमला पुत्री कालू के वारिस होने को चुनौती नहीं दी गई है। इस प्रकार रेस्पो.सं.1 लगायत 4 कमला के वारिस होना निर्विवाद है। अपील विषयक भूमि पर जमाबंदी संवत 2072–75 की खतौनी सं. 173 में कमला पुत्री कालू व अपीलांट हिस्सा बराबर खातेदार दर्ज होना एवं खातेदार कमला की दिनांक 07.04.21 को मृत्यु हो जाने का तथ्य स्वयं अपीलांट द्वारा अपील में अंकित किया है। रेस्पो.सं.1 लगायत 4 की माता कमला की मृत्यु हो जाने पर मृतक खातेदार कमला के स्थान पर उसके वारिसान रेस्पो.सं.1 लगायत 4 के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फोती नामान्तरकरण सं. 2929 दिनांक 13.09.22 दर्ज किया गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत माता के निहित हिस्से की भूमि उसकी संतान विधिक उत्तराधिकारी होने से प्राप्त करने की अधिकारी है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिसम्मत है। अभिभाषक रेस्पोडेंटस द्वारा अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, बून्दी

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 15.11.2022 को होने पर अपील दिनांक 16.12.2022 को पेश की गई। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर अवधि मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम गुढानाथावतान में स्थित आराजी ख.सं. 1776/2034 रकबा 1.5380 हैक्टेयर भूमि की खातेदार कमला पुत्री कालू जाति कुम्हार हिस्सा 1/2 दर्ज रेकार्ड थी। खातेदार कमला के फोत हो जाने से उसके हिस्से पर उसके वारिसान का नाम दर्ज कर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 2929 दिनांक 13.09.2022 को स्वीकृत किया गया है। जहां तक वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में अपील लम्बित रहने के दौरान अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किये जाने का प्रश्न है तो अपीलांट की ओर से किसी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में तत्समय पेश किये गये हो, इस पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये।

यहां उल्लेखनीय है कि अपीलांट वसीयत के आधार पर अपील विषयक आराजी पर अपना अधिकार मानता है, तो अपीलांट द्वारा अपने पिता कालू के देहान्त के बाद तस्दीक किये गये फोती नामान्तरकरण को उक्त वसीयत के आधार पर चुनौती दी जानी चाहिए थी। अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार कालू के वारिसान के पक्ष में तस्दीक नहीं किया गया, अपितु खातेदार कमला के वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है, जिसे वसीयत के आधार चुनौती दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार कमला के विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में तस्दीक किये गये अपीलाधीन विरासत के नामान्तरकरण में कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होता है। ऐसे में अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 25.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी